

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2002 (श्रावण 3, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः कितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर विद्ये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरवाहन कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे -

- (क) एफ-22-213-2001-आठ, दिनांक 20 सितम्बर, 2001,
- (ख) एफ-22-213-2001-आठ, दिनांक 26 नवम्बर, 2001; तथा
- (ग) एफ-22-39-2000-आठ, दिनांक 6 जून, 2002.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम मेखड़ाहेड़ी में आंत्रशोध का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के अम्बाह में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री बुजेंद्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम चौमों में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,
- (2) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ नगर के ईदगाह मुहल्ला की लव-कुश कालोनी में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने,
- (3) श्री जयसिंह मराठी, सदस्य, शहडोल जिले के -
 - (क) जनपद पंचायत कोतमा से ग्राम निगवानी तक नाबार्ड से सड़क बनाये जाने; तथा
 - (ख) ग्राम धुमकार में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापन करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित
समय

1 घन्टा
30 मि.

(शेष 50 मि.)

प्रदेश में अधोषित विद्युत कटीती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :
दिनांक : 24 जुलाई, 2002

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.